समाचार

दुकानों में डस्टबिन न रखने पर अर्थदण्ड के साथ ही निगम अमले ने उपलब्ध कराए डस्टबिन

(दुकानों, प्रतिष्ठानों में गीला व सूखा कचरा हेतु दो पृथक–पृथक डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने की दी हिदायत)

कोरबा 10 मार्च 2022 – दुकानों, प्रतिष्ठानों में डस्टबिन न रखने के परिणाम स्वरूप निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए संबंधित दुकानदारों पर अर्थदण्ड लगाया तथा साथ ही उन्हें डस्टबिन भी उपलब्ध कराएं। दुकानदारों को हिदायत देते हुए निगम के अधिकारियों ने कहा कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में गीला व सूखा कचरा के लिए पृथक–पृथक डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें, इन्हीं

डस्टबिनों में कचरे को अलग–अलग संग्रहित करें तथा अपशिष्ट संग्रहण हेतु आने वाले निगम के वाहन में ही अपशिष्ट को दें।

आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के अपर आयुक्त श्री खजांची कुम्हार की अगुवाई में स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी एवं निगम के अन्य कर्मचारियों ने निहारिका व्यवसायिक क्षेत्र स्थित विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया, अनेक दुकानों पर डस्टबिन न रखें होने को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों पर अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें डस्टबिन उपलब्ध कराए गए, साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें। इस दौरान निहारिका व्यवसायिक क्षेत्र व घंटाघर क्षेत्र में दुकानों पर अर्थदण्ड लगाकर उन्हें डस्टबिन उपलब्ध कराए गए।

पुराने कोरबा शहर में चला स्वच्छता अभियान – निगम द्वारा संचालित किए जा रहे स्वच्छता महाअभियान की कड़ी में आज वार्ड क्र. 06 अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में विशेष स्वच्छतास ड्राईव चलाई गई। इस दौरान पुराना बस स्टैण्ड, रवि साउण्ड से चित्रा टाकिज रोड मुख्य मार्ग सहित अन्य स्थलों पर विशेष साफ–सफाई के कार्य एक अभियान के रूप में किए गए। इस दौरान निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी तथा रोटरी क्लब के पदाधिकारियों की देखरेख में नालियों की विशेष सफाई, कचरा का तुरंत उठाव व परिवहन के साथ ही लोगों को साफ–सफाई के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया।